रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 11, 2017/फाल्गुन 20, 1938
No. 102] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 11, 2017/PHALGUNA 20, 1938

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

सं. भा.आ.प.–12(1)/2016–मेड़ि. विविध/175608.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में पुनः संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2017" कहा जाएगा।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में इसमें दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः

3. अनुसूची II में पॉइंट संख्या 7 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः

   यदि संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रदान की गई स्नातकोत्तर चिकित्सा शैक्षिक योग्यता वाला कोई व्यक्ति किसी मेडिकल कॉलेज में अध्यापन संबंधी नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है, तो उसकी शैक्षिक योग्यता को भारत में मेडिकल कॉलेज में संबंधित विभाग में सहायक प्रोफेसर के लिए एम.डी./एम.एस/डी.एम./ एम.–सीएच., जैसा भी मामला हो, की समतुल्य शैक्षिक योग्यता के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा, पदोन्नतियां, चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, 1998 के अनुसार की जाएंगी।

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन–III/4/असा./469/16 (100)]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली, नामतः "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 05 दिसंबर, 1998 भारत के राजपत्र के भाग–III खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03/11/2010, 04/11/2010, 08/07/2011, 11/06/2012, 06/08/2012.

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2017

No. MCI-12(1)/2016-Med.Misc./175608.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", namely:—

1 (i) These Regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2017."

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", the following shall be **substituted** as indicated therein:—

3. In Schedule II, the following shall be substituted for point no. 7.

If a person with Postgraduate Medical Qualifications awarded in United States of America, United Kingdom, Canada, Australia & New Zealand desires to take up teaching appointments in a medical college, his/her qualification can be considered as equivalent qualification with MD/MS/DM/M.Ch., as the case may be, for the post of Assistant Professor in respective department in Medical College in India. Further, promotions would be as per Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998.

Dr. REENA NAYYAR, Secy. (I/c)

[ADVT.-III/4/Exty./469/16 (100)]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Minimum qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and amended vide MCI notifications dated 16.3.2005, 21.7.2009, 28.10.2009, 15.12..2009, 3.11.2010, 4.11.2010, 8.7.2011, 11th June, 2012, 6th August, 2012 & 20.4.2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Digitally signed by ALOK KUMAR

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2008/फाल्गुन 20, 1929
No. 309] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2008/PHALGUNA 20, 1929

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2008

का.आ. 459(अ).—केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के बाद उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के भाग II में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में शीर्षक "भाग II भारत से बाहर की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा प्रदत्त मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं जो दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है" के अन्तर्गत आयुर्विज्ञान में डॉक्टर ऑफ फिलोस्फी (पीएचडी) (डगस्तान मेडीकल इंस्टीट्यूट), यूएसएसआर* अर्हता से संबंधित प्रविष्टियों के बाद और तारक (*) के स्पष्टीकरण के नीचे, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"आस्ट्रेलिया में प्रदत्त और उस देश में संबंधित विशिष्टताओं में चिकित्सा व्यवसायिकों के रूप में नामांकन के लिए मान्यताप्राप्त सभी स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हताएं;

कनाडा में प्रदत्त और उस देश में संबंधित विशिष्टताओं में चिकित्सा व्यवसायिकों के रूप में नामांकन के लिए मान्यताप्राप्त सभी स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हताएं;

न्यूजीलैंड में प्रदत्त और उस देश में संबंधित विशिष्टताओं में चिकित्सा व्यवसायिकों के रूप में नामांकन के लिए मान्यताप्राप्त सभी स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हताएं;

यूनाईटीड किंगडम में प्रदत्त और उस देश में संबंधित विशिष्टताओं में चिकित्सा व्यवसायिकों के रूप में नामांकन के लिए मान्यताप्राप्त सभी स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हताएं;

संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदत्त और उस देश में संबंधित विशिष्टताओं में चिकित्सा व्यवसायिकों के रूप में नामांकन के लिए मान्यताप्राप्त सभी स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हताएं;"

[सं. वी-11025/11/2007-एमई-पी-I(पार्ट)]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2008

S.O. 459(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the Section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consultation with the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in Part II of the Third Schedule to the said Act, namely :—

In the said Schedule under the heading "Part II Recognized Medical Qualifications Granted by Medical Institutions outside India not included in the Second Schedule", after the entries relating to the qualification Doctor of Philosophy (Ph. D.) in Medical Sciences (Dagastan Medical Institute), U.S.S.R.* and below the explanation of the asterisk (*), the following shall be added, namely :—

"All post graduate medical qualifications awarded in Australia and recognized for enrolment as medical practitioners in the concerned specialties in that country;

All post graduate medical qualifications awarded in Canada and recognized for enrolment as medical practitioners in the concerned specialties in that country;

All post graduate medical qualifications awarded in New Zealand and recognized for enrolment as medical practitioners in the concerned specialties in that country;

All post graduate medical qualifications awarded in United Kingdom and recognized for enrolment as medical practitioners in the concerned specialties in that country;

All post graduate medical qualifications awarded in United States of America and recognized for enrolment as medical practitioners in the concerned specialties in that country."

[No. V.-11025/11/2007-ME-P-I (Pt.)]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.